FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

मूलदास बनाम रामेश्वरदास वगैराह

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं. 72 ....सन्..2020

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	09.09.2020	
	प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। वकील प्रार्थी के कथनानुसार विवादग्रस्त अविभाजित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा अजनबी केता को बैचान करने का अदेंशा है इसलिए अप्रार्थीगण को अतरिंम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी तारिख पेशी दिनांक 19.10.2020 तक बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य कि जारी की जाती है कि मौजा अखासर के वादग्रस्त ख.न. 1305 रकबा 31.00 बीघा, ख.न. 1310 रकबा 13.08 बीघा की विवादग्रस्त आराजी का अप्रार्थीगण बैचान हस्तान्तरण नहीं करने एवं प्रार्थी एवं प्रार्थी 1 से 5 के बंट एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। नोटः– <u>उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा **DILRMP** के कार्य एवं धारा 251 अ एल.आर. एक्ट पर प्रभावी नहीं रहेगा एवं उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 19.10.2020 तक ही प्रभावी रहेगी।</u> अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 19.10.2020 पेश हो सहायक कलक्ट्रर खींवसर 19/10/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में ... / स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 7/12 को प्रस्तुत हो। 7/12/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / भ्रमण / स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 10/2/21 को प्रस्तुत हो।	

APP-A
Crime-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

त .... मुकाम ....

मूलदास बनाम रामेश्वरदास

मा .... नं. 72/2020 सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.22 पत्रावली पेश, पुकार करायी गयी, वकीलवादी मय वादी को न्यायालय में बार-बार आवाज दिलवायी गयी, मगर गैर हाजिर अतः बार-बार आवाज दिलवाने के पश्चात भी वकीलवादी एवं वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तथा वादी के वाद प्रा. पत्र U/S 212 RT Act को अदम पैरवी-अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। वादी के निवेदन पर पुनः पत्रावली को Restore/Reopen किया जा सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) खींवसर	